न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, किशनगढबास जिला–खैरथल–तिजारा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : जगदीश प्रसाद मीना,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या : 87/2018 (26/2017)
(CIS No- Sessions/ 44/2017)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. : 591/2016 पुलिस थाना–किशनगढबास

राजस्थान राज्य बनाम करण वगैरा

''**अपराध अंतर्गत धारा –307, 397/34 भादंसं.**

भाग– प्रथम

A

परिवादी	जगदीश प्रसाद पुत्र मुन्सीराम निवासी पेराडाईज स्कूल के पास, किशनगढबास
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. करण पुत्र गोवर्धन, उम्र–20 वर्ष निवासी मिलकपुर गुर्जर, पुलिस थाना भिवाडी, जिला खैरथल–तिजारा। (**मृतक**) **(कार्यवाही ड्रोप आदेशिका दि 15.05.2026)** 2. रमेश उर्फ मेसी पुत्र पूरन उम्र 28 वर्ष निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा। **......अभियुक्तगण**
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री जगन सिंह गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	28.11.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	29.11.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	28.06.2017
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	07.07.2018
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	01.10.2018
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	21.05.2026
निर्णय दिनांक	21.05.2026
अन्तिम निर्णय	दोषमुक्त

C

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	रमेश उर्फ मेसी	01.12.2016	14.06.2019	307 विकल्प में 307/34 भादंसं, 397 विकल्प में 397/34 भादंसं	दोषमुक्त	—	46 दिन

भाग–द्वितीय

अ– अभियोजन गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	जगदीश	परिवादी/रिपोर्टकर्ता
पी.डब्ल्यू 2	सोनू	पुलिस बयान
पी.डब्ल्यू 3	मनोज	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 4	डॉ रवि माथुर	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू 5	ज्ञानचंद	अनुसंधान कार्यवाही
पी.डब्ल्यू 6	महेशचंद	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 7	जगदीश प्रसाद	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल कागजात, फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल, बरामदगी नक्शामौका
पी.डब्ल्यू 8	चेतराम	धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस
पी.डब्ल्यू 9	रविंद्र कुमार	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू 10	सुनील कुमार	माल एफएसएल जमाकर्ता
पी.डब्ल्यू 11	डॉ दीपक शर्मा	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू 12	देविका तोमर	फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही
पी.डब्ल्यू 13	हंसराज	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल कागजात, फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल

पी.डब्ल्यू 14	महेंद्र	पुलिस बयान
पी.डब्ल्यू 15	सुभाष	पुलिस बयान
पी.डब्ल्यू 16	गौरव प्रधान	अनुसंधान अधिकारी

ब– बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
——	——	————

स– न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
——	——	————

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ– अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी–3	फर्द शिनाख्तगी अभियुक्त रमेश
प्रदर्श पी–4	नक्शामौका घटनास्थल
प्रदर्श पी–5	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र जगदीश
प्रदर्श पी–6	धारा 161 सीआरपीसी के बयान गवाह सोनू
प्रदर्श पी–7	एक्सरे रिपोर्ट जगदीश
प्रदर्श पी–8	एक्सरे–जगदीश
प्रदर्श पी–9	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त करण दिनांक 30.11.2016
प्रदर्श पी–10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी दिनांक 01.12.2016
प्रदर्श पी–11	फर्द नक्शामौका बरामदगी स्थल कट्टा
प्रदर्श पी–12	फर्द तस्दीक नक्शामौका अभियुक्त करण
प्रदर्श पी–13	फर्द जब्ती देशी कट्टा अभियुक्त करण
प्रदर्श पी–14	फर्द जब्ती एवं बरामदगी स्थल आधार कार्ड, फोटो, बिजली बिल व 1000/– रूपये अभियुक्त करण
प्रदर्श पी–15 व	अभियुक्त करण द्वारा दी गयी इत्तला

16	
प्रदर्श पी–17	फर्द तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी
प्रदर्श पी–18 व 19	अभियुक्त रमेश उर्फ मेसी द्वारा दी गयी इत्तला
प्रदर्श पी–20	फर्द जब्ती एवं बरामदगी स्थल मतदाता पहचान पत्र, फोटो व 1400/– रूपये
प्रदर्श पी–21	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल नंबर आरजे 02 एसवाई 1764 अभियुक्त रमेश
प्रदर्श पी–22	फर्द नक्शामौका बरामदगी स्थल मोटरसाईकिल अभियुक्त रमेश
प्रदर्श पी–23	फोटो परिवादी जगदीश
प्रदर्श पी–24	परिवादी जगदीश का आधार कार्ड
प्रदर्श पी–25	परिवादी जगदीश की फोटो
प्रदर्श पी–26	परिवादी जगदीश का मतदाता पत्र
प्रदर्श पी–27	वाहन मालिका चेतराम को दिया गया धारा 133 एम.वी एक्ट का नोटिस
प्रदर्श पी–28	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
प्रदर्श पी–29	एफएसएल जमा रसीद
प्रदर्श पी–30	पुलिस बयान महेंद्र
प्रदर्श पी–30ए	शिनाख्तगी कार्यवाही में सम्मिलत बंदियों की सूची
प्रदर्श पी–32	एफएसएल रिपोर्ट
प्रदर्श पी–33 व 34	अनुसंधान अधिकारी द्वारा ज्ञानचंद कांस्टेबल को अभियुक्त करण दायमा द्वारा दी गयी साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के संबंध में स्वतंत्र गवाहान लाने बाबत पत्र
प्रदर्श पी–35 व 36	अनुसंधान अधिकारी द्वारा ज्ञानचंद कांस्टेबल को अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी द्वारा दी गयी साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के संबंध में स्वतंत्र गवाहान लाने बाबत पत्र
प्रदर्श पी–37	जगदीश प्रसाद के नाम का असल बिजली का बिल दिनांकित 13.05.2015
प्रदर्श पी–38ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी–39 व 40	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी–41	चार्जशीट

ब– बचाव प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–

स– न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
————	———निल————

द– भौतिक वस्तुएं

प्रदर्श नम्बर	विवरण
————	———निल————

–: <u>निर्णय</u> :– <u>दिनांक</u> : – **21.05.2026**

01. प्रस्तुत सेशन प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी जगदीश पुत्र मुन्सीराम ने दिनांक 29.11.2016 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि:–

" प्रार्थी कस्बा किशनगढबास के वशिष्ट मार्केट में व्यापारी है। घटना कल दिनांक 28.11.2016 को समय करीब 07.45 पीएम की है। प्रार्थी अपनी दुकान बढाकर पैराडाईज स्कूल के पास अपने घर जा रहा था कि ताराचंद की चक्खी के पास पहुंचा तो प्रार्थी के पास दो व्यक्ति आये तथा उसके हाथ में जो थैला था जिसमें दुकान का कैश व अन्य कागजात थे, छिनने लगे जिसका उसने विरोध किया तो इन लोगों ने उसे धक्का देकर सडक पर गिरा दिया तथा उसके बैग में रखे कागजात में उसे उसके बिल, पर्चे व आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरहा निकाल लिये तथा पांच हजार रूपये भी निकाल लिये। इस छीना झपटी में जब उसने ज्यादा विरोध किया तो इनमें से एक व्यक्ति उसके उपर देशी कट्टे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया इनमें से <u>एक व्यक्ति को उसने पहचान लिया जिसका नाम कर्ण गूजर निवासी मिलकपुर का रहने वाला है जो कई बार उसके किशनगढबास कस्बे में आते–जाते देखा है, दूसरे व्यक्ति को वह शक्ल से नहीं जानता सामने आने पर पहचान सकता हूं।</u> मौके पर काफी आदमियों के भीड हो गयी थी ....इत्यादि।"

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर–591/2016 पुलिस थाना किशनगढबास अन्तर्गत धारा 307, 392 भा0द0स0 में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त करण के विरुद्ध धारा 307, 397, 34 भा0द0स0 व 9/25, 5/27 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त रमेश उर्फ मेसी के विरूद्ध धारा 307, 397, 34 के आरोपों में चार्जशीट न्यायालय ए.सी.जे.एम

किशनगढबास में दिनांक 17.03.2017 को पेश करने पर उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर मामला अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं–1 किशनगढबास के यहां कमिट किया गया, तत्पश्चात माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेशानुसार दिनांक 06.04.2018 यह प्रकरण वास्ते सुनवायी व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2018 को अभियुक्त करण के विरूद्ध धारा 307 विकल्प में 34, 397 विकल्प में 34 भादंसं व 5/25, 9/25 आर्म्स एक्ट में तथा अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के विरूद्ध धारा 307 विकल्प में 307/34 भादंसं, 397 विकल्प में 397/34 भादंसं के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए निर्णय के पृष्ठ संख्या 2, 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान पी.ड.1 लगायत पी.ड. 16 के बयान लेखबद्ध करवाये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–41 प्रदर्शित करवाये गये।

06. अभियुक्त करण की दौराने अन्वीक्षा मृत्यु हो जाने से आदेशिका 15.05.2026 के जरिये उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

07. अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य व फर्दात को गलत होना बताया। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

08. बहस उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

09. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैं :–

(1) "क्या अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी ने दिनांक 28.11.2006 को समय सांय 7.45 पी.एम पर या इसके लगभग सरहद किशनगढबास में स्थित ताराचंद की चक्खी के पास सहअभियुक्त करण के साथ सामान्य आशय की पूर्ति मे मजरूब जगदीश प्रसाद पर देशी कट्टे से फायर कर उसकी हत्या का प्रयास किया तथा उक्त घटना के दौरान उसके हाथ में पकडे बैग में रखे पांच हजार रूपये,

दस्तावेज बिल, पर्चे, आधार कार्ड इत्यादि को छीनकर लूट की वारदात कारित की ?

(धारा– 307/34, 397/34 भादंसं)

(2) "यदि अपराध साबित हुआ तो उपर्युक्त सजा क्या होगी" ?

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा कि अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के विरूद्ध आरोपित अपराधो के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पीड.1 लगायत पीड–16 की मौखिक साक्ष्य एवं प्रदर्श–पी0–1 लगायत प्रदर्श–पी0–41 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जिनके समग्र विवेचन एवं विश्लेषण से अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 307, 397 भादंसं युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराधों के संबंध में जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसके समग्र विवेचन एवं विश्लेषण से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है, लिहाजा अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

11. <u>जबकि</u> विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि हस्तगत घटना से अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रकरण की घटना कथित सहअभियुक्त करण द्वारा कारित किया जाना बताया गया है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त रमेश के कब्जे से न तो कोई वारदात में काम में लिया गया देसी कट्टा और न ही किसी प्रकार का अन्य कोई माल वजह सबूत बरामद हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से मतदाता पहचान पत्र, फोटो आदि जरिये फर्द प्रदर्श पी–20 जब्त किया जाना बताया गया है, लेकिन उक्त दस्तावेज सील्डशुदा नहीं रहा है, बल्कि सभी दस्तावेज खुले हुए है। अभियुक्त के विद्धद्ध फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 पेश कर प्रदर्शित करायी गयी है जिसके संबंध में उनका यह कहना रहा है कि अभियुक्त को थाने पर परिवादी जगदीश को दिखा दिया गया था जिसकी पुष्टि गवाह पी.ड–1 जगदीश की साक्ष्य से होती है। अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने हेतु किसी प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। फर्द जब्ती की कार्यवाहियों के सभी गवाहान पुलिसकर्मी रहे है, किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया

गया है। अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराधों के संबंध में जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसके समग्र विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

11. सुना गया। उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आरोपित अपराध के संबंध में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

12. इस संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया जावे तो हस्तगत घटना के संबंध में गवाह पी.ड–1 जगदीश प्रसाद परिवादी द्वारा पुलिस थाना किशनगढबास में प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी है कि–

''उसके साथ वशिष्ट मार्केट में दिनांक 28.11.2016 को रात्रि करीब 07.45 पीएम पर दो व्यक्तियों द्वारा उसके हाथ में से एक थैला जिसमें रूपये व अन्य कागजात छीनने का प्रयास करना, जिनका विरोध करने पर उसे धक्का देकर सडक पर गिरा देना और उसके द्वारा ज्यादा विरोध करने पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर देना, जिसको उसके द्वारा पहचान लिया जाना, जिसका नाम करण गुर्जर होना, दूसरे व्यक्ति को शक्ल से नहीं जानना और सामने आने पर पहचान सकना उल्लेखित किया गया है।''

13. अभियोजन की ओर से उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के समर्थन में गवाह पी.ड–1 जगदीश प्रसाद परिवादी को पेश कर परीक्षित कराया गया है जिसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकित तथ्यों को ही अपने मुख्य परीक्षण में दोहराया है और फायर करने वाला व्यक्ति करण सिंह नाम का लडका होना जिसे उसके द्वारा पहचान लेना तथा दूसरे मुललिम को नहीं जानना, जिसे कारागार में पहचान लेना बताया है। साक्षी ने घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थाने में दर्ज कराना, जिसकी चाकशुदा एफआईआर प्रदर्श पी–2 होना, अभियुक्त रमेश की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–3 होना, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–4 होना, उसकी चोटों का मेडिकल कराया जाना जिसका

चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी–5 होना और इन सभी दस्तावेजों पर उसके ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर होना बताया है।

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके बंदूक की चोट नहीं लगी थी। उसने दूसरे दिन एफआईआर दर्ज करायी थी। रमेश और करण सिंह दोनों उसको रिपोर्ट लिखाने के दूसरे दिन थाने में मिले थे। वह उसके कागज और मुलजिम पहचानने थाने पर गया था।

गवाह पी.ड–2 सोनू भी घटना का चश्मदीद साक्षी रहा है, लेकिन यह साक्षी अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अपर लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी भाग पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है।

गवाह पी.ड–3 मनोज परिवादी का लडका है जिसने भी अपने पिता पी.ड–1 जगदीश प्रसाद के समान ही कथन किये है और दो लडकों द्वारा उसके पिता के बैग को छीन ले जाना, विरोध करने पर मुलजिमान द्वारा उसके पिताजी पर फायर किया जाना जो उसको नहीं लगना, दोनों लडकों में से एक लडके करण को उसके द्वारा पहचान लिया जाना, मुलजिम करण की मृत्यु हो जाना तथा अन्य मुलजिम को नहीं पहचानना स्वीकार किया है।

गवाह पी.ड–6 महेशचंद भी इस घटना का चश्मदीद साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 28.11.2016 को वह अपनी दुकान से फ्री होकर घर के बाहर टहल रहा था। लगभग 8 बजे की घटना है उसने देखा कि जगदीश प्रसाद वशिष्ठ मार्केट में थे जिससे दो लडके छीना–झपटी कर रहे थे, उनको सडक पर गिरा दिया था। हवाई फायर की आवाज आयी थी तथा उसका थैला छीनकर भाग गये। वह उक्त दोनों लडकों को नहीं पहचानता है, किसी व्यक्ति ने भागने वाले एक व्यक्ति का नाम करण गुर्जर बताया था।

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

गवाह पी.ड–15 सुभाष, परिवादी जगदीश का भाई है जिसने भी अपने मुख्य परीक्षण में उसके भाई जगदीश से दो लडकों द्वारा उसका थैला छीनने के लिए छीना–झपटी किया जाना, विरोध करने पर उसको धक्का देकर सडक पर गिरा देना और दोनों लडकों में से एक लडके द्वारा देसी कट्टे से फायर किया जाना, जिसका नाम करण गुर्जर होना और दूसरे व्यक्ति का मौके से

भाग जाना, पुलिस द्वारा उसके समक्ष नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–4 बनाया जाना जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

जिरह में साक्षी का कहना रहा है कि वे लोग फायर कर बैग छीनकर भाग गये, यह बात उसको उसके भाई जगदीश ने बतायी है। वह उन लडकों में से एक लडके करण को जानता है।

14. इस प्रकार उक्त घटना के संबंध में मौके पर उपस्थित जिन मौखिक साक्षियान पी.ड–1 जगदीश, पी.ड–2 सोनू, पी.ड–3 मनोज, पी.ड–6 महेशचंद व पी.ड–15 सुभाष को पेश कर परीक्षित कराया है, इन सभी साक्षियान ने परिवादी जगदीश से दो व्यक्तियों द्वारा बैग छीनने के लिए उस पर बंदूक से फायर करने वाले एक व्यक्ति को करण गुर्जर होना पहचान किया है, जबकि उसके साथ उपस्थित दूसरे व्यक्ति को इन साक्षियों में से किसी ने भी नहीं पहचाना है। गवाह पी.ड–2 सोनू अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने दोनों ही मुलजिमान को पहचानने से इंकार किया है। इस प्रकार चश्मदीद साक्षियान पी.ड–1 जगदीश, पी.ड–3 मनोज, पी.ड–6 महेशचंद व पी.ड–15 सुभाष की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त चारों साक्षियान अभियुक्त करण सिंह को पहले से जानते थे एवं उसके साथ मौजूद अन्य व्यक्ति को वे नहीं जानते थे, क्योंकि वह मौके से भाग गया था।

यद्यपि दौराने अनुसंधान परिवादी पी.ड–1 जगदीश से दूसरे व्यक्ति अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी–3 गवाह पी.ड–12 देविका तोमर तहसीलदार के समक्ष संपन्न करवायी गयी है, जिसमें पी.ड–1 जगदीश परिवादी ने अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी को शिनाख्तगी कार्यवाही के दौरान सही पहचान किया है, लेकिन इस संबंध में गवाह पी.ड–1 जगदीश की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि वह उसके कागज और मुलजिमान को पहचानने के लिए थाने पर गया था। मुलजिम रमेश एवं करण सिंह दोनों उसे रिपोर्ट लिखाने के दूसरे दिन थाने में मिले थे। चूंकि हस्तगत प्रकरण में घटना की तिथि दिनांक 28.11.2016 है एवं अभियुक्त करण सिंह को दिनांक 30.11.2016 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 एवं अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी को जरिये फर्द प्रदर्श पी–10 दिनांक 01.12.2016 को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार गवाह पी.ड–1 जगदीश की उक्त स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि जब उसको सामान एवं मुलजिमान को पहचानने के लिए घटना के दो दिन बाद थाने पर बुलाया गया

था, उस समय अभियुक्त रमेश व करण थाने पर ही थे। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड–16 गौरव प्रधान ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अनुसंधान के लिए जगदीश परिवादी की जब भी जरूरत पडी अनुसंधान के लिए आता रहा है।

इसी प्रकार फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–9 व प्रदर्श पी–10 में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों अभियुक्तगण क्रमशः दिनांक 30.11.2016 व 01.12.2016 को गिरफ्तार किया गया है जबकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी की फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 गवाह पी.ड–12 देविका तोमर तहसीलदार द्वारा दिनांक 05.12.2016 को करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में गवाह पी.ड–1 जगदीश से करवायी गयी अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी की फर्द शिनाख्तगी कार्यवाही रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गवाह पी.ड–1 जगदीश अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी को घटना के दो दिन बाद ही थाने पर देख चुका था। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से प्रदर्शित करायी की फर्द शिनाख्तगी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 से अभियोजन को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

15. चूंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विवेचन व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हस्तगत घटना दो व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी थी जिनमें से एक व्यक्ति करण गुर्जर को गवाह पी.ड–1 जगदीश, पी.ड–3 मनोज, पी.ड–6 महेशचंद व पी.ड–15 सुभाष द्वारा मौके पर ही पहचान लिया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त करण द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा एवं कारतूस जरिये फर्द प्रदर्श पी–13 बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना में प्रयोग में लिया गया फायर आर्म देसी कट्टा भी अभियुक्त करण के कब्जे से ही बरामद होना स्पष्ट है अर्थात उक्त घटना में प्रयोग में लिया गया कथित देसी कट्टा अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है एवं अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि परिवादी जगदीश पर कट्टे से फायर अभियुक्त करण द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त करण रहा है तथा अभियुक्त करण की दौराने विचारण मृत्यु हो चुकी है और उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

16. अभियोजन की ओर से अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के विरूद्ध दस्तावेज फर्द तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–17 पेश कर प्रदर्शित कराया गया है। फर्द तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–17 अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुसंधान अधिकारी को दी गयी इत्तला प्रदर्श पी–18 के आधार पर गवाह पी.ड–5 ज्ञानचंद कांस्टेबल व जयनारायण कांस्टेबल की उपस्थिति में बनाया गया है। अभियोजन की ओर से जयनारायण कांस्टेबल को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

फर्द तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–17 के अवलोकन से जाहिर है कि यह तस्दीक नक्शामौका अभियुक्त रमेश की निशादेही से दिनांक 06.12.2016 को गवाह पी.ड–16 गौरव प्रधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया है। इस संबंध में यदि घटनास्थल का नकशामौका प्रदर्श पी–4 का अवलोकन किया जावे तो उक्त नक्शामौका घटनास्थल पी.ड–16 गौरव प्रधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह पी.ड–5 ज्ञानचंद, पी.ड–1 जगदीश परिवादी व पी.ड–15 सुभाष की उपस्थिति में दिनांक 30.11.2016 को ही बना लिया गया था। इस प्रकार अभियुक्त रमेश द्वारा दी गयी इत्तला प्रदर्श पी–18 के आधार पर फर्द तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–17 बनाये जाने से पूर्व ही घ टनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–4 पत्रावली पर मौजूद रहा है। इस प्रकार गवाह पी.ड–16 गौरव प्रधान अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल से पूर्व से ही वाकिफ था, जहां पर वह पहले ही जा चुका था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत 2002(2) RCC Page 1169 Gajanand v/s State of Raj. में अवधारित किया गया है कि–

"अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण अभियुक्तगण की निशादेही से बनाये जाने वाले नक्शामौका से पूर्व में ही कर लिया गया था। इस प्रकार घटनास्थल के बारे में अनुसंधान अधिकारी पूर्व से ही परिचित था। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण से प्राप्त इत्तला के आधार पर कोई 'तथ्यों का प्रकटीकरण' नहीं होता है। ऐसी इत्तलाओं पर बनाया गया निशादेही नक्शामौका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य नहीं है।"

हस्तगत प्रकरण में भी पत्रावली पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–4 पूर्व से ही मौजूद रहा है और उक्त नक्शा मौका घटनास्थल को पी.ड–16 गौरव अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2016 को

ही घटनास्थल पर जाकर बना लिया गया था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त रमेश द्वारा दी गयी इत्तला के आधार पर मुर्तिब किये गये तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–17 से कोई नवीन तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों की रोशनी में यह साक्ष्य में ग्राह्य होना माने जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को उक्त तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी–17 से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17. अभियोजन की ओर से अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के विरूद्ध प्रदर्श पी–20 फर्द जब्ती एवं बरादमगी मतदाता पहचान पत्र, फोटो व 1400/– रूपये पेश कर प्रदर्शित कराये गये है। इस संबंध में यदि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 का अवलोकन किया जावे तो उक्त फर्द जब्ती पी.ड–16 गौरव प्रधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा रूबरू मौतबीराम पी.ड–7 जगदीश प्रसाद व पी.ड–13 हंसराज की उपस्थिति में बनायी गयी है एवं अभियुक्त रमेश के घर से परिवादी का मतदाता पहचान पत्र, फोटो एवं 1400/– रूपये बरामद किया जाना बताया है, लेकिन फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 के अवलोकन से जाहिर है कि पी.ड–16 गौरव प्रधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा कागजात एवं 1400/– रूपये की जब्ती की कार्यवाही अपने अधीनस्थ कांस्टेबल पी.ड–7 जगदीश प्रसाद एवं पी.ड–13 हंसराज की उपस्थिति में मुर्तिब की गयी है। उक्त जब्ती की कार्यवाही का ग्राम कांकडा के किसी ग्रामीण व्यक्ति को या स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है एवं उपरोक्त समस्त कार्यवाही पुलिस कर्मी पी.ड–7 जगदीश प्रसाद व पी.ड–13 हंसराज की उपस्थिति में ही संपन्न की गयी है। इसके अतिरिक्त फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के कब्जे से बरादमशुदा मतदाता पहचान पत्र, दो फोटो एवं 1400/– रूपये नगदी को दौराने जब्ती सीलमोहर नहीं किया गया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 पर भी उक्त बरामदशुदा मालवजह सबूत पर किसी प्रकार की कोई सीलमोहर अंकित होना दर्शित नहीं है।

गवाह पी.ड–16 गौरव प्रधान अनुसंधान अधिकारी ने भी अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पासपोर्ट साईज फोटो, आई.डी व बिल मौके पर ही जब्त कर लिये थे। पासपोर्ट साईज फोटो, आईडी, बिल एवं बरामदशुदा रूपये को उसने सीलमोहर नहीं किया था तथा उक्त बरामदगी की कार्यवाही के सभी गवाहान पुलिसकर्मी थे। इस प्रकार पी.ड–16 गौरव प्रधान ने इस तथ्य को

स्वीकार किया है कि जब उसके द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो, आईडी एवं रूपये बरामद किये गये थे तो उनको सीलमोहर नही किया गया था और यह साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि पासपोर्ट साईज फोटो, आईडी, बिल मौके पर ही जब्त कर लिये थे। ऐसी स्थिति में जब उक्त माल मौके पर ही जब्त कर लिया गया था तो प्रदर्श पी–20 के जरिये उक्त मतदाता पहचान पत्र, फोटो व 1400/– रूपये अभियुक्त रमेश के घर से कैसे बरामद किये गये? परिवादी का फोटो प्रदर्श पी–23, उसका आधार कार्ड प्रदर्श पी–24, उसका फोटो प्रदर्श पी–25 एवं मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श पी–26 सीलमोहर नही किये गये है। उक्त सभी दस्तावेज खुले ही बरामद किया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त 1400/– रूपये की राशि का कोई विशिष्ट पहचान चिह्न नहीं रहा है कि उक्त 1400/– रूपये की राशि परिवादी जगदीश से लूटी गई राशि ही रही हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत 2003 CLJ (SC) Page 2302 में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

''अभियुक्त द्वारा दी गयी इत्तला के अनुसरण में बरामदगी घनी आबादी से लगते हुए स्थान से की गयी थी, लेकिन फिर भी आबादी से किसी स्वतंत्र साक्षी को अनुसंधान अधिकारी ने गवाह नहीं बनाया। केवल एक फोटोग्राफर जोकि बार–बार पुलिस की गवाही देता रहता था, उसे ही गवाह बनाया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गयी बरामदगी संदेहास्पद पायी गयी।''

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 2003 CLJ (SC) Page 358 लखविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

''बरामदगी स्थल से जो अभियोगात्मक सामग्री जब्त की गयी थी, उसके गवाहान पुलिस कर्मी एवं एक स्वतंत्र गवाह था। स्वतंत्र गवाह की परीक्षा नहीं की गयी और इस कारण बरामदगी और अन्य जब्तियां संदिग्ध मानी गई।''

18. हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त रमेश के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी–20 जो मतदाता पहचान पत्र, फोटो एवं 1400/– रूपये बरामद किया जाना बताया गया है उसके मौतबीर पी.ड–7 जगदीश प्रसाद व पी.ड–13 हंसराज पुलिसकर्मी ही रहे है। बरादमगी स्थल अभियुक्त रमेश का गांव कांकडा का निवास स्थान रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त फर्द जब्ती की कार्यवाही के उसके गांव के किसी व्यक्ति को या अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह

नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त बरादमशुदा मालवजह सबूत अनुसंधान अधिकारी द्वारा सीलमोहर भी नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को फर्द जब्ती प्रदर्श पी–20 से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19. अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के कब्जे से इस घटना में उपयोग में ली गयी मोटरसाईकिल सीडी डिलेक्स आरजे 02 एसवाई 1764 जरिये फर्द प्रदर्श पी–21 जब्त की गयी है, लेकिन परिवादी द्वारा दर्ज करायी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में कही भी यह तथ्य अंकित नहीं हो रहे है कि उक्त घटना में उक्त नम्बरी मोटरसाईकिल का उपयोग लिया गया था। उक्त मोटरसाईकिल के मालिक पी.ड–8 चेतराम को अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–27 दिया गया है जिसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि <u>यह मोटरसाईकिल उसके रिश्तेदार सुरेश के पास में थी जो थाने में बंद थी जिसका नोटिस उसे दिया था। घटना के समय मोटरसाईकिल किसके पास थी उसे नहीं पता।</u> इस प्रकार गवाह पी.ड–8 चेतराम ने धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–27 में अंकित जवाब की ताईद नहीं की है कि उक्त मोटरसाईकिल पर उसने अभियुक्त रमेश को घटनादिवस को दी हो। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–21 से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त रमेश के विरूद्ध अन्य किसी प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। अभियोजन की ओर से अन्य जो साक्षियान पेश कर परीक्षित कराये गये है, <u>वे अभियुक्त करण से संबंधित है। इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त करण ही रहा है जिसकी दौराने विचारण मृत्यु हो चुकी है।</u>

20. ऐसी स्थिति में अभियेाजन पक्ष द्वारा अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी के विरूद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है, उसके समग्र विवेचन एवं विश्लेषण से अभियुक्त रमेश उर्फ मैसी द्वारा घटना दिवस को उक्त घटना में सम्मिलित होना युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित माने जाने योग्य नहीं है। लिहाजा अभियुक्त धारा 307 विकल्प में 307/34 भादंसं, 397 विकल्प में 397/34 भादंसं के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं।

——आदेश——

21. परिणामतः अभियुक्त रमेश उर्फ मेसी पुत्र पूरन उम्र 28 वर्ष निवासी कांकरा पुलिस थाना किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा को अपराध अन्तर्गत धारा 307 विकल्प में 307/34 भादसं, 397 विकल्प में 397/34 भादसं के आरोपों में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. प्रकरण में अन्य अभियुक्त करण गुर्जर की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 15.05.2026 को कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

26. प्रकरण में जब्तशुदा परिवादी के मतदाता पहचान पत्र, फोटो, अन्य दस्तावेज व नगद रूपये नियमानुसार परिवादी को लौटा दिये जावे तथा जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल यदि सुपुर्दगी पर नहीं दी गयी हो तो बाद गुजरने मियाद अपील उक्त मोटरसाईकिल वाहनमालिक को लौटा दी जावे। पूर्व में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा बादगुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावे।

27. प्रकरण में जब्तशुदा देसी कट्टा व कारतूस बादगुजरने मियाद अपील जिला शस्त्रागार में जमा करवाया जावे।

27. अभियुक्त के हाजिरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20 हजार रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक कराये, कि यदि 6 माह के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में अपील संस्थित होती है तो वह स्वयं उपस्थित हो जायेगा।

(जगदीश प्रसाद मीना)

निर्णय आज दिनांक **21.05.2026** को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(जगदीश प्रसाद मीना)